

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 24/104-2003 S-I (2) दिनांक, चण्डीगढ़ 29.6.2004

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर-45, गुड़गांव को कक्षा 1 से 12वीं तक को सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 24/104-2003 S-I (2) दिनांक 29.6.2004 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं० 35/GGN+2/C.B.S.E./2004 है।

आर० बी० लांगायन
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृष्ठाकन क्रमांक सम

दिनांक, चण्डीगढ़ 29.6.2004

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. ✓ प्रबन्ध समिति, चंपा देवी जयपूरिया चैरीटेबल ट्रस्ट, गुड़गांव।
2. सचिव केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, गुड़गांव।
4. मास्टर फाईल।

29/6/04
ओफीसर इन्चार्ज विद्यालय -1/
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।